BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 11 फरवारी 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 20,000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त प्रमोद पुत्र नेपाल निवासी ग्राम औरंगाबाद अहीर थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2015 में अपने गांव निवासी एक व्यक्ति हरपाल सिंह की हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 31.05.2015 को थाना गुलावठी पर मुअसं- 219/2015 धारा 302,323,504 भादवि व धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 09.06.2015 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें 09 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 11.02.2025 को न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश वर्मा(मा0 न्यायालय स्पेशल कोर्ट एससी/एसटी एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त प्रमोद को आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विपुल राघव का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर